कार्यालय कलेक्टर,जिला उज्जैन (म.प्र.)

दूरभाष क्र.0734–2513100, फेक्स 0734–2510878

क्रमांक / स्थापना / 2019 / 9319 उज्जैन दिनांक 26 / 07 / 2019

–: आदेश :–

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ–2–10 / 2012 / सात / 4–ए, भोपाल दिनांक 04.03.2014 के द्वारा लोक सेवा प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के सृजित पदों के लिये मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. एफ–2–10 / 2012 / सात / 4–ए, भोपाल दिनांक 09.08.2017 में निहित प्रावधान अनुसार जिले में कार्यरत कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति संविदा आधार पर निश्चित मानदेय राशि रूपये 10,000/– पर की गई है । पश्चात वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर कार्यालयीन आदेश क्र. स्थापना / 2019 / 421 दिनांक 14.01.2019 एवं क्र. स्थापना / 2019 / 6326 दिनांक 13.06.2019 से एक वर्ष के लिये संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाई गई है ।

2– मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. सी–5 – 2 / 2018 / 1 / 3 दि. 05.06.2018 द्वारा संविदा पर नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु जारी नीति निर्देश परिपत्र की कण्डिका 1.14.5 में प्रावधानित है कि संविदा कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम 90 प्रतिशत निर्धारित किया गया है । जिसके अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. 2–10 / 2012 / सात / 4 दिनांक 04.01.2019 एवं समसंख्य आदेश दिनांक 22.01.2019 के द्वारा विभाग अंतर्गत निर्मित संविदा पदों पर नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दि. 05.06.2018 में प्रावधानित निर्देशों के तहत शासित होंगे तथा निम्नलिखित कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों का मासिक संविदा मानेदय राशि रूपये 22,770 (अक्षरी बाईस हजार सात सौ सत्तर मात्र) स्वीकृत किया जाता है ।

क्र.	कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का नाम	कार्यालय का नाम	संविदा नियुक्ति सेवा वृद्धि दिनांक / अवधि	भर्ती नियमों में समकक्ष पद का प्रावधानित नियमित वेतनमान	वर्तमान में प्रचलित सातवें वेतनमान में न्यूनतम मासिक वेतन	सामानय प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.06.2018 की कण्डिका 1.14.5 के अनुसार न्यूनतम का 90 प्रतिशत मासिक / संविदा मानदेय
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री राहुल श्रीवास्तव	तह. कार्यालय खाचरौद	दिनांक 09.02.19 से 08.02.2020 तक	5200–20200 +2400	25,300 /–	22,770 /–
2.	श्री अरविन्दसिंह राजपूत	तह. कार्यालय घट्टिया	दिनांक 03.02.2019 से 02.02.2020 तक	5200–20200 +2400	25,300 /–	22,770 /–

निरंतर...

उक्त कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटरों की सेवा शर्तें मूल नियुक्ति आदेशानुसार रहेगी तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.06.2018 में प्रावधानित निर्देशों के तहत शासित होंगे । कॉलम नं. 7 में निर्धारित मासिक ''संविदा मानदेय' वर्तमान संविदा अवधि के माह जुलाई 2019 से उक्त स्वीकृत मानदेय देय होगा।''

कलेक्टर,
जिला उज्जैन

पृ. क्रमांक क्रमांक / स्थापना / 2019 / 9319 उज्जैन, दिनांक 26/07/2019

प्रतिलिपी–

1– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित

2– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

3– सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन, मंत्रालय भोपाल ।

4– प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।

5– आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ।

6– जिला सूचना विज्ञान अधिकरी, एन.आई.सी. कलेक्टर कार्यालय उज्जैन की ओर वेबसाईट पर लोड़ करने हेतु ।

7– प्रभारी अधिकारी वित्त–3 / नाजिर शाखा, कलेक्टर कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

8– लोक सेवा प्रबंधक, कलेक्टर कार्यालय, उज्जैन ।

9– अनुविभागीय अधिकारी घट्टिया / खाचरौद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

10– तहसीलदार घट्टिया / खाचरौद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

11– संबंधित श्री अरविन्दसिंह राजपूत, सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, तहसील कार्यालय घट्टिया की ओर पालनार्थ।

12– संबंधित श्री राहुल श्रीवास्तव, सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, तहसील कार्यालय खाचरौद की ओर पालनार्थ।

13– व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।

कलेक्टर,
जिला उज्जैन म0प्र0